#### मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय

//आदेश//

815

भोपाल, दिनांक /6 - 3 - 7 6

क्रमांक /886/2016/1/34,:: सिविल संहिता 1908 (अधिनियम संख्याक—3) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए के प्रकरण क्मांक डब्ल्यू पी. 7632/15 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरुद्ध मान्0 उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के समक्ष रिट अपील दायर करने हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड क्मांक 2, नगरपालिक निगम, इन्दौर, को प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने के लिए कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अपनी बातों के साथ—साथ ऐसी रीति में, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेंग:—

(1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरंत जांच करेगा, जिसकी आवश्यकता हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए, और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनमें कि मामलों के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता की सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपार्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट से विनिर्दिष्ट रूप से की जावेगी।

(2) समस्त सुसंगत फाईल, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा।

(5) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:—
 क— वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

ख- प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

ग- उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईन करना प्रस्तावित है,जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।

घ- मामलों के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, जिसमें वाद पत्र की सुनवाई तारीख भी वर्णित होना चाहिए।

3/5

(7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और वाद मामले में प्रकरण और प्रगति के नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया म०प्र० राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

(10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने तथा राय प्राप्त करने और इसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।

(11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा एवं वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक वह प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।

(12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य

दस्तावेज छुपा हुआ नही रह जाये।

(13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह, जैसे ही वाद का निर्णय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को भेजेगा।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक नियुक्त है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामले में, जहां किसी वाद प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह आदेश की प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा, शासन (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करेगा।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> > (एस.के.सेन्द्रे)

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन १ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

निरंतर.....3/-

क्मांक <sup>8</sup> | 6 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक /6-3-16

- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म०प्र०भोपाल।
- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इन्दौर, म०प्र०।
- 4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड क्रमांक 2, नगरपालिक निगम, इन्दौर, म0प्र0 एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण—पत्र प्रगति प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और प्रकरण में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित प्रकरण की रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव की भेजनी चाहिए। वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए। साथ ही मूल याचिका की प्रति भी तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन १ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्याक्षय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश भोपाल

1547

कमांक प्रति.

/ प्र.अ. / विधि—1318 / लो.स्वा.या.वि. / 2016

भोपाल, दिनांक २५ २) १६

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन

मंत्रालय भोपाल

लोक स्वास्थ्य गांनिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागवंची क

विषय:-

प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल(दैनिक वेतन भोगी) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 05.11.2015 को दिये गये निर्णय के विरूद्व रिट अपील दायर करने हेतु अनुमति बावत ।

संदर्भ:-

मुख्य अभियंता इन्दौर का पत्र क्र. 1167 दि० 4.2.16 (छायाप्रति संलग्न)

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत प्रकरण में मुख्य अभियंता इंदौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के प्रकरण कमांक. डब्ल्यू पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल(दैनिक वेतन भोगी) विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य पारित निर्णय दि. 5.11.15 के विरूद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में रिट अपील दायर करने हेतु शासकीय अधिवक्ता द्वारा मत दिया है,

छायाप्रति संलग्न है।

कृपया प्रकरण में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र इंदौर की अनुशंसा एवं शासकीय अधिवक्ता के मत अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 7632/2015 श्री देवेन्द्र कुमार ओव्हल(दैनिक वेतन भोगी) विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य पारित निर्णय दि. 5.11.15 के विरुद्ध रिट अपील दायर करने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त कर उपलब्ध कराने एंव कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण खंड कमांक-2, नगरपालिक निगम इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें।

पृ.क्र. प्रतिलिपि:- / प्र.अ. / विधि—1318 / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2015

भोपाल, दिनांक

मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र इन्दौर 1.

अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना मंडल इंदौर 2. 3.

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण खंड कं02, न.पा.नि इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

# BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PPADESH; BENCH AT INDORE

W.P. No. 76321 /2015(S)

Devendra Kumar Ovhal, S/o Shri Damodar Rao Ovhal, Address: 190/3, Nadiya Nagar, LIG Colony, Indore.

VERSUS

Respondents

State of M.P.
 Through Principal Secretary,
 Public Health Engineering
 Department
 Vallabh Bhawan, Bhopal.

- Chief Engineer,
   Public Health Engineering.
   Department, Indore Parishetra, Jal.
   Vihar Bhawan, South Tukoganj,
   Indore.
- 3. Executive Engineer,
  Public Health Engineering
  Department
  Sub Division 7, Nagar Palika
  Nigam, Musakhedi, Indore.

# WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSITUTION OF INDIA

#### AY IT PLEASE YOU LORDSHIP;

e Petitioner above named respectfully SHWETH

Particulars of the cause/order against which the petition is made:

(1) Date of Order : Nil

(2) Passed in : Nil

(3) Passed by : Nil

(a) Subject-matter in brief: The petition is not preferred against any particular direction or order but is preferred against the

## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ANNEXURE-C

ORDER SHEET (CONTINUATION)

DATE & S NO. OF THE ORDER

ORDER

#### W.P. No.7632/2015

5.11.2015

Mr. P.Patwardhan, counsel for the petitioner

Ms. M.Ravindran, counsel for respondent/State.

Heard finally with consent.

This writ petition has been filed by the petitioner seeking a direction to the respondents to pay the wages and other benefits attached to the post on which the deceased employee was classified as permanent from

The case of petitioner is that petitioner was appointed on daily wages in the respondent No.3department on 23.07.1998 and he has completed 16 years of service and was classified as permanent employee by order dated 13.08.2004 but salary attached to the said post has not been paid.

When the matter is taken up today, learned counsel for petitioner has submitted that identical writ petition being W.P.No.6688/2010 in the matter of Rupram Yadav Vs. State of M.P. and others, (2010) 3 MPLJ 350 has been disposed of by order dated 2:.05.2010 and similar directions be issued in the case of petitioner also.

Counsel for the State has no objection to the same. W.P.No.6688/10 in the matter of Rupram Yadav







#### ANNEXURE-C

### HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE NO. .....

ORDER SHEET (CONTINUATION) DATE & S. CRDER NO. OF THE ORDER (supra) was disposed of with the following directions :-Petitioner has been classified as a permanent driver in accordance to the provisions of the Standard Standing Orders formulated under the M.P.Employment Standing Order Act, petitioner claims regular payscale attached to the post of driver. Claim made by the petitioner is based on 3 the principles laid down by this court in the case of State of M.P. Vs. Hariram, 2008(3) MPLJ 517 and an earlier judgment in the case of Engineer-in-Chief, P.H.E.D. Vs. Budha Rao Magarde, 2002 (1) MPLJ 385, in the cases referred to herein, particularly in the case of Hariram (supra) in para 10 and 12 and after taking note of various judgments of this court, so also of the Supreme Court, particularly the law laid down in the case of Budha Rao (supra) it has been held by the Bench of this court that classification of an employee entitles to get the pay scale to the post on which he has been classifled as a permnent employee. Keeping in view the law laid down in the case of Hariram (supra) and observations made in para 10 and \$2 therein, there is no reason as to why benefit as claimed by the petitioner be not granted.

Accordingly, this petition is allowed, respondents are directed to grant to the petitioner regular pay scale to the post on which he has been classified in accordance to the provisions of the Standing Standard Orders, Necessary action for payment of salary and other benefit be extended to the petitioner within 3 months from the date of receipt of certified copy of this order."

ADVOCATE



DOC. No.

OFFICE THE ADVOCATE GENERAL M.P. HIGH COURT BENCH INDORE

Dated

16)

Dt.:11/01/2016

To, The Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Division No.2, Nagar Palika Nigam, Musakhedi, INDORE, (MP).

SUB. YOUR LETTER NO.8416 DATED 31.12.2015 SEEKING LEGAL OPINION IN RESPECT OF ORDER DATED 05.11.2015 PASSED IN WRIT PETITION NO.7622/2015 [Devendra Kumar Vs. State of M.P. & Others].

[LEGAL OPINION]

My opinion has been sought in respect of order in [Devendra Kumar Vs. State of M.P & Others], wherein the passed Hon'ble Court has decided the matter and has held that the dictum of law laid down in case of Rupram Yadav shall apply mutatis mutandis in the present case also. The petitioner had approached this Hon'ble Court for grant of regular pay scale to the post on which he had been classified in accordance with the standing orders, however a bare perusal of the judgment quoted goes to show that it has been directed in the petition to grant the petitioner regular pay scale to the post on which he has been classified in accordance to the provisions of standing standard orders. Meaning thereby the petitioner should be given benefit of the pay scale which is attached to the post on which they are classified as per the standing standard orders i.e. pay scale which is fixed by the Industrial Commissioner under Employment (Standing orders) Rules, 1963. However, the Hon'ble Writ Court has disposed of the petition by holding that the judgment passed in the case of Rupram Yadav shall apply mutatis mutandis in the present matter also.

It is seen from the record of the case that the Hon'ble Court has virtually allowed the petition by saying that the judgment passed in the case of Rupram Yadav

Con semination (Co)

EN NT ADVOCATE

MADHYA PRADESH

**2** (O) 2510139, 2528847

D.O.C. No.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL M.P. HIGH COURT BENCH INDORE

> Dated. 200

> > F

1 η

shall apply mutatis mutandis in this case also. Whereas the State Government in this matter had not filed the reply, therefore, no opportunity to present the factual aspects of the matter was given in the matter. Furthermore, the petitioner is a daily wager employee who was permanently classified in the daily wage category and was only entitled for the wages as per as the standing orders. Thus, in my opinion this is a fit case to prefer writ appeal and the same may be done as expeditiously as possible as the limitation for preferring writ appeal is only 90 days.

Opined accordingly.

(Ms. Mini Ravindran) **GOVERNMENT ADVOCATE** 

AJAY SEN